GCMS No - 2022/222

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

नवलखी बनाम बनवारी

किस्म मुकदमा 225 आरटीए नम्बर 49/2022
जीसीएमएस संख्या........2022/222

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20–06–22	अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटा की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चकगर्बी में स्थित है जिसे प्रार्थी ने जरिए विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त कर रखा है और विक्रय पत्र के आधार पर वादगत भूमि अपीलांटा के नाम राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी अंकित चली आ रही है। इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का कोई हिस्सा व अधिकार नहीं है फिर भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांटा की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने की कोशिश करने पर अपीलांटा ने अदालत मातहत में दावा चिरनिषेधाज्ञा प्रस्तुत किया और अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जिस पर अदालत मातहत ने दिनांक 30.04.2013 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी थी। जिसे अदालत मातहत समय–समय पर बढाया जाता रहा लेकिन किन्हीं कारणों से अस्थाई निषेधाज्ञा आगे ना बढ पाने से प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 18.05.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा आगे बढाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2021 की पालना निरस्त कर अपील के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाया जावे।	

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांट द्वारा स्थगन अवधि बढाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2021 के माध्यम से इस आधार पर खारिज किया गया है कि इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त स्थगन अवधि को बढाया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के समक्ष पूर्व की आदेशिकाओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि पूर्व में स्थगन कब जारी किया गया व कब तक उसकी अवधि नहीं बढाई गई।

अपीलांट द्वारा स्थगन अवधि बढाये जाने के प्रार्थना पत्र को दिनांक 18–05–2021 को खारिज करने के उपरान्त एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहा है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज करते हुऐं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

20/6/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर